



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231033
CG-DL-E-11112021-231033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4335]
No. 4335]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4700(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 13 जुलाई, 2024 जिस दिन वह उस सदन, जिससे वह नामनिर्दिष्ट हुए हैं, के सदस्य नहीं रहेंगे, तक की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्ति का नाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :-
संसद सदस्य [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

"श्री राकेश सिन्हा

वर्तमान पता :

ए वी -98, शाहजहां रोड

नई दिल्ली-110011।

स्थायी पता :

ग्राम-मनसेरपुर

जिला-बेगूसराय, बिहार-851211।"

राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4700(E).—In pursuance of sub-sections (5) of section 5, read with clause (e) of sub-section (3) of section 5 of the Press Council Act, 1978, the Central Government hereby notifies the name of the following person nominated as member to the Press Council of India for a period upto 13th Jul, 2024, being the date on which he ceases to be the member of the House from which he is nominated, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Members of Parliament [nominated under clause (e) of sub-section (3) of section 5]

“Shri Rakesh Sinha

Present Address: AB-98, Shahjahan Road
New Delhi - 110011.

Permanent Address: Village – Manserpur
Distt. – Begusarai,
Bihar - 851211.”

Nominated by the Chairman of the
Council of States

[F. No. M-22011/2/2020-Press]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii). *vide* number S.O. 4107(E), dated the 6th October, 2021

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4701(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978(1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4701(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 5 read with clause (a) of sub-section (3) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting number S.O. 4107(E), dated the 6th October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th October, 2021 namely:-

In the said notification, the serial number 6, and the entries relating thereto, shall be omitted.

[F. No. M-22011/2/2020-Press]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii). *vide* number S.O. 4107(E), dated the 6th October, 2021.